उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com

फोन नं0 0135–2669658

पत्रांक –/1040/परीक्षा विज्ञप्ति/2016–17 देहरादून: दिनांक: 07 मार्च, 2017

विज्ञप्ति/शुद्धि–पत्र

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या–08/उ.अ.से.च.आ./2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

(1) वाणिज्य कर अपील अधिकरण विभाग के पत्रालेखानुसार

(क)वैयक्तिक सहायक (पदकोड 80.1)के 02 पद सामान्य श्रेणी के स्थान आंशिक संशोधन करते हुये 01 पद सामान्य श्रेणी व 01 पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित किया गया है।

(ख) कनिष्ठ सहायक(पदकोड 74.3) के 03 पद सामान्य श्रेणी के स्थान आंशिक संशोधन करते हुये 02 पद सामान्य श्रेणी व 01 पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित किया गया है।

(2) ग्राम्य विकास विभाग के वैयक्तिक सहायक (पदकोड 80.3) के 10 पदों पर भर्ती प्रकिया विभाग के पत्रानुसार स्थगित की जाती है।

(3) महाधिवक्ता कार्यालय के पत्रालेखानुसार आशुलिपिक–अंग्रेजी (पदकोड 80.2) के पद 14 [(GEN-04, GEN (WO)- 03 GEN(EX)-01,SC-02 SC(WO)-01, ST-01, OBC-01, OBC(WO)-01)] के स्थान 07 पद निरस्त करते हुये 07 पद [(GEN-03, GEN (WO)-02 SC-01,OBC -01)] किये गये हैं।

(4) परिवहन विभाग में कनिष्ठ सहायक के 24 रिक्त पदों हेतु शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी कालम के बिन्दु संख्या–3 में कम्प्यूटर में डाटा एण्ट्री टंकण परीक्षा के लिये प्रति घन्टा 8000 की–डिप्रेशन (Key Depression)के स्थान पर प्रति घन्टा 4000की–डिप्रेशन (Key Depression) पढ़ा जाय।

(5) रेशम विभाग के पत्रालेखानुसार

(1) अधिदर्शक/प्रदर्शक(रेशम) के 03 रिक्त पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष पढ़ा जाय।

(2) सहकारिता पर्यवेक्षक के 01 रिक्त पद हेतु शैक्षिक अर्हता जीव विज्ञान समूह के साथ इन्टमीडिएट के स्थान पर इन्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष पढ़ा जाय।

(6) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 (पद कोड–87) के रिक्त पदों के सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन परामर्श चाहा गया है, जो निम्नवत है:–

(क) सहायक अध्यापक एल0टी0 संगीत हेतु यू0टी0ई0टी0–2/सी0टी0ई0टी0–2 की परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं है।

(ख) ग्रेड वेतन रू0 4200/– एवं 4600/– वाले सेवारत अध्यापक जो विद्यालयी शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत हैं, के द्वारा विभागीय अनापत्ति लेकर स0अ0एल0टी0वेतनकम में ग्रेड वेतन रू0 4600/– के पद पर 60 प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र के शॉफ्टवेयर में व्यवस्था है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत स0अ0एल0टी0 वेतनकम ग्रेड वेतन रू0 4600/– में ही कार्यरत शिक्षक द्वारा स0अ0एल0टी0 के 60 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन नहीं किया जा सकता है।

(ग) ट्रॅान्स जेन्डर अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र में अंकित शाखा में चयनित किया जायेगा।

बिन्दु संख्या–6(क),(ख) एवं (ग) में संशोधन शासन से प्राप्त होने वाले निर्णय की अधीन रहेगा।

(घ) शिक्षा विभाग के पत्रालेखानुसार स्नातक वेतनकम में 10 प्रतिशत विभागीय परीक्षा हेतु राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि अथवा किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0 टी0 डिप्लोमा धारक हों, उन्हें अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उन्होने विभाग में सेवा की हो, परन्तु यह छूट पांच वर्ष से अनधिक होगी।

उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या–8/उ.अ.से.च.आ./2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

सचिव,

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग